



कांवि०प्रा०
कानपुर विकास प्राधिकरण,
मोतीझील, कानपुर

पत्रांक: डी/ 33 / निविदा/अ०अ०(वि०/यॉ०)/का०वि०प्रा०/26-27

दिनांक : 02.05.26

जनसम्पर्क अधिकारी

कृपया निम्नवत ई-निविदा/निविदा सूचना निर्धारित समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं प्रकाशन की एक एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करा दें।

निविदा सूचना

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	बी०ओ०क्यू० धनराशि (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा मूल्य, 18 प्रतिशत जी०एस०टी० (रु० लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा डालने की अन्तिम तिथि एवं समय	निविदा/तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय	वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय	जोन
1.	प्राधिकरण मुख्यालय भवन के भू-तल, प्रथम, द्वितीय तृतीय तल एवं ऑडिटोरियम (प्रेक्षागृह) के सेन्ट्रल एयर कन्डीशनिंग के वार्षिक संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य।	90.98	1.82	3000.00 +540.00 =3540.00	36 माह	23.05.2026 अपरान्ह 5.00 बजे तक	24.05.2026 अपरान्ह 3.00 बजे तक	तकनीकी बिड स्वीकृति के बाद सूचित की जायेगी	वि०/यॉ०
2.	जवाहरपुरम योजना सेक्टर-1 में 33/11 के०बी० उपकेन्द्र से प्रधानमंत्री आवास तक 11 के०बी० डबल फीडर एवं पूर्व निर्मित सिंगल फीडर को डबल फीडर में परिवर्तित करने का कार्य।	68.82	1.38	3000.00 +540.00 =3540.00	05 माह	23.05.2026 अपरान्ह 5.00 बजे तक	24.05.2026 अपरान्ह 3.00 बजे तक	तकनीकी बिड स्वीकृति के बाद सूचित की जायेगी	वि०/यॉ०
3.	जवाहरपुरम सेक्टर-1 स्थित प्रधानमंत्री आवास में पम्प हाउस का निर्माण एवं राइजिंग मेन डालने का कार्य।	45.50	0.91	3000.00 +540.00 =3540.00	04 माह	16.05.2026 अपरान्ह 5.00 बजे तक	17.05.2026 अपरान्ह 3.00 बजे तक	तकनीकी बिड स्वीकृति के बाद सूचित की जायेगी	वि०/यॉ०
4.	कानपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय भवन में सी०सी०टी०वी० कैमरा एवं फायर अलार्म सिस्टम के संचालन का कार्य।	4.75	0.10	950.00 +171.00 =1121.00	36 माह	12.05.2026 अपरान्ह 5.00 बजे तक	13.05.2026 अपरान्ह 3.00 बजे तक	-	वि०/यॉ०

- क्र०सं०-1 से 3 पर उल्लिखित कार्य की निविदा टू-बिड पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय) पर प्राप्त की जायेगी।
- क्र०सं०-1 से 3 पर अंकित निविदा में कानपुर विकास प्राधिकरण में स्वीकृत फर्मों के अतिरिक्त उ०प्र० के समस्त विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद में पंजीकृत ठेकेदार अपनी पंजीकृत श्रेणी की निविदा में भाग करने हेतु पात्र होंगे, किन्तु अन्य प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद में पंजीकरण के आधार पर प्रतिभाग करने वाले निविदादाताओं को निविदा स्वीकृति की स्थिति में नियमानुसार कानपुर विकास प्राधिकरण में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
- क्र०सं०- 4, पर उल्लिखित कार्य हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण में अनुमन्य श्रेणी में पंजीकृत फर्म ही निविदा में भाग लेने हेतु पात्र होगी एवं इन निविदाओं हेतु सिंगल-बिड पद्धति पर प्राप्त की जायेगी।
- क्र०सं० 1 से 4 पर उल्लिखित कार्य हेतु निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है।

5. क्र०सं० 1 से 4 पर उल्लिखित कार्य हेतु पंजीकृत फर्मों द्वारा निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ०प्र० शासन द्वारा प्रदत्त "क" श्रेणी/ "क" श्रेणी अनुमोदित वैध विद्युत लाइसेन्स की स्वप्रमाणित स्कैण्ड प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
6. निविदायें आनलाइन डालने हेतु निविदादाताओं के पास उ०प्र० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि० लखनऊ अथवा कन्ट्रोलर ऑफ सर्टीफाइंग अथॉरिटीज, भारत सरकार द्वारा नियुक्त सर्टीफाइंग अथॉरिटीज या उनके रजिस्ट्रिंग अथॉरिटीज में से किसी एक से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट होना अनिवार्य है।
7. कालम-4 में अंकित धरोहर धनराशि व कालम 5 में अंकित निविदा मूल्य को आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से प्राधिकरण के खाता संख्या 100037449266 आई.एफ.एस.सी. कोड-आई.एन.डी.बी.0000041 इण्डसट्रिज बैंक, स्वरूप नगर कानपुर में निविदा डालने से पूर्व जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्रपत्र के साथ यूटीआर की स्कैण्ड प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
8. प्राप्त समस्त निविदाओं अथवा किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
9. निविदा खोलने के दिन अवकाश की स्थिति में निविदा अगले कार्यदिवस में खोली जायेगी।
10. निविदा से सम्बन्धित विवरण एवं विस्तृत शर्तें निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।
11. निविदा सूचना में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा अतिरिक्त सूचना प्राधिकरण की वेबसाइट पर ही उपलब्ध रहेगी। इसके लिए समाचार पत्रों में कोई विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं की जायेगी।
12. कार्य पर जी०एस०टी० का भुगतान तथा अन्य करों की कटौती तत्समय प्रचलित नियमों के अधीन पृथक से अनुमन्य होगा।

13. निम्न निविदा डाले जाने हेतु शासनादेश निम्नलिखित हैं-

- आगणन दर से 9.99 प्रतिशत तक निम्न निविदा डाले जाने पर।

यदि निविदादात/ठेकेदार द्वारा निविदा 10 प्रतिशत तक निम्न डाली जाती है, तो विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-12 उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी०सी०-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत निम्न तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न दर पर 1.00 प्रतिशत कम दर अतिरिक्त सिव्योरिटी/परफार्मेन्स गारन्टी एन०एस०सी०/एफ०डी०आर० के रूप में निविदा स्वीकृति से पूर्व विभाग में जमा करनी होगी, जो वित्त नियंत्रक कानपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में बंधक होगी।

- 10 से 14.99 प्रतिशत तक निम्न निविदा डाले जाने पर।

यदि निविदादात/ठेकेदार द्वारा निविदा 10 से 14.99 प्रतिशत तक निम्न डाली जाती है, तो विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-12 उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी०सी०-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार आंकलित परफार्मेन्स गारन्टी का 02 गुना देय होगा तथा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की अवधि 02 वर्ष होगी, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	वर्ष	जमानती धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी	परफार्मेन्स गारन्टी धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी
1.	अन्तिम भुगतान का वर्ष	प्रथम 05 प्रतिशत	20 प्रतिशत
2.	अन्तिम भुगतान के पश्चात प्रथम वर्ष	निल	30 प्रतिशत
3.	अन्तिम भुगतान के पश्चात द्वितीय वर्ष	अन्तिम 05 प्रतिशत	50 प्रतिशत

- 15 से 19.99 प्रतिशत तक निम्न निविदा डाले जाने पर।

यदि निविदादात/ठेकेदार द्वारा निविदा 15 से 19.99 प्रतिशत तक निम्न डाली जाती है, तो विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-12 उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी०सी०-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार आंकलित परफार्मेन्स गारन्टी का 02 गुना देय होगा तथा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की अवधि 03 वर्ष होगी, जिसका विवरण निम्नवत् है:-


क्र० सं०	वर्ष	जमानती धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी	परफार्मेन्स गारन्टी धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी
1.	अन्तिम भुगतान का वर्ष	प्रथम 05 प्रतिशत	10 प्रतिशत
2.	अन्तिम भुगतान के पश्चात प्रथम वर्ष	निल	20 प्रतिशत
3.	अन्तिम भुगतान के पश्चात द्वितीय वर्ष	निल	20 प्रतिशत
4.	अन्तिम भुगतान के पश्चात तृतीय वर्ष	अन्तिम 05 प्रतिशत	50 प्रतिशत

- 20 से अधिक निम्न निविदा डाले जाने पर।


यदि निविदादात/टेकेदार द्वारा निविदा 20 प्रतिशत से अधिक निम्न डाली जाती है, तो विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-12 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी०सी०-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार आंकलित परफार्मेंस गारण्टी का 03 गुना देय होगा तथा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की अवधि 05 वर्ष होगी, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	वर्ष	जमानती धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी	परफार्मेंस गारण्टी धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी
1.	अन्तिम भुगतान का वर्ष	प्रथम 05 प्रतिशत	5 प्रतिशत
2.	अन्तिम भुगतान के पश्चात प्रथम वर्ष	निल	10 प्रतिशत
3.	अन्तिम भुगतान के पश्चात द्वितीय वर्ष	निल	10 प्रतिशत
4.	अन्तिम भुगतान के पश्चात तृतीय वर्ष	निल	10 प्रतिशत
5.	अन्तिम भुगतान के पश्चात चतुर्थ वर्ष	निल	15 प्रतिशत
6.	अन्तिम भुगतान के पश्चात पंचम वर्ष	अन्तिम 05 प्रतिशत	50 प्रतिशत

प्र० अधिशासी अभियन्ता (वि०/या०)


22/05/2016
अधीक्षक अभियन्ता

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता(कम्प्यूटर) को इस आशय से कि उक्त निविदा सूचना को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


22/05/2016
अधीक्षक अभियन्ता